पत्रांक..............................व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, दिनांक..........................

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, खगड़िया।

सेवा में,

अभ्यर्थी/प्राधिकृत प्रतिनिधि
कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ ईंडिया
(मार्क्सवादी)

विषय :– लोक चुनाव 2014 का अभ्यर्थी व्यय पंजी जाँच हेतु उपस्थापित करने के क्रम में पाई गई त्रुटियों के कारण पृच्छा के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– व्यय प्रेक्षक, 25 खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का पत्रांक 47 दिनांक 17.04.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निर्धारित तिथि 17.04.2014 को आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय पंजी सक्षम पदाधिकारी के समक्ष जाँच हेतु उपस्थापित किया गया।

जाँच के क्रम में निम्नांकित त्रुटियाँ पाई गई :–

(1) बैंक एकाउन्ट दिनांक 08.04.2014 को खोला गया है, जाँच हेतु उपस्थापित नहीं किया गया।

(2) नाजीर प्राप्ति रसीद के अनुसार दिनांक 05.04.14 को रु0 25,000.00 का नकद भुगतान किया गया है। इसका निर्वाचन व्यय के लिए निर्धारित बैंक एकाउन्ट से नहीं किया गया है।

(3) दिनांक 14.04.2014 तक की प्रवृष्टि दैनिक व्यय निर्वाचन पंजी में किया गया है।

आप को निदेश दिया जाता है कि इस कारण पृच्छा के प्राप्ति के 48 घंटा के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दाखिल करें। अन्यथा प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर सुसंगत धारा के तहत् कार्रवाई किया जायेगा।

ह0/–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, खगड़िया।
25–खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र

ज्ञापांक 19 दिनांक 18.04.14

प्रतिलिपि :– व्यय प्रेक्षक, 25– खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

18/4/14
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, खगड़िया।
25–खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र